न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67 / 2017 राजस्व अपील

1. किशन पुत्र रामसहाय
2. दिलसुख पुत्र किशन
3. कैलाश पुत्र रामजीलाल
4. कमल पुत्र गोकल
5. हरवंश पुत्र सुरजन

जाति गुर्जर निवासी ग्राम गावडी उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 03.02.2016 मुकदमा नं0 414 / 2016 सरकार बनाम किशन, दिलसुख अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :–

दिनांक: 06.10.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 59 रकबा 1.20 है0 पर गेहूं, सरसों, चना की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये तथा अपीलान्टस् को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये ही

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई निर्णय व सबूत भी उपलब्ध नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 59 रकबा 1.20 है0 पर गेहूं, सरसों, चना की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अपीलान्टस् के पश्चातवर्ती होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान यह भी अवगत कराया गया है कि अपीलान्टस् को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 को निरस्त करते हुए, प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्टस् को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रकिया पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा